ऋण नीति का अनुबंध V

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर दिशानिर्देश

1. परिचय:

1.1 एमएसएमई की पहचान करने और विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए, भारत सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 को अधिनियमित किया. एमएसएमई को परिभाषित करने के माध्यम से बढ़ावा देने और विकास के लिए सक्षम नीति वातावरण प्रदान करने, एमएसएमई उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता को विकसित करने और बढ़ाने के लिए एक रूपरेखा तैयार करने, क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को सुनिश्चित करने और एमएसई के उत्पादों और सेवाओं के लिए सरकारी खरीद में प्राथमिकता का मार्ग प्रशस्त करने तथा विलंबित भुगतान आदि मामलों को संबोधित करने हेतु एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 को अधिनियमित किया गया था.

1.2 एमएसएमई क्षेत्र के विकास को प्रभावित करने वाली चुनौतियों का समाधान करके अर्थव्यवस्था में इस क्षेत्र के योगदान में सुधार किया जा सकता है. उनमें से कुछ प्रमुख नीचे उल्लिखित हैं:

a) नीति और संस्थागत हस्तक्षेप
b) विकास में तेजी लाना और औपचारिकीकरण को सक्षम बनाना
c) ढांचागत बाधाओं को दूर करना
d) क्षमता निर्माण को सुगम बनाना
e) ऋण और जोखिम पूंजी तक पहुंच को सुविधाजनक बनाना
f) हामीदारी अंकन मानकों और वितरण में सुधार के लिए तकनीकी हस्तक्षेप
g) सार्वजनिक खरीद प्लेटफार्मों के साथ बाजार जुड़ाव और गठबंधन (टाई-अप) को सक्षम करना

2. एमएसएमई पर नीति दिशानिर्देश:

2.1 पृष्ठभूमि

अतेव बैंक ने एमएसएमई अग्रिमों के लिए एक अलग दस्तावेज़ तैयार किया है ताकि एमएसएमई के प्रति एक मानकीकृत दृष्टिकोण हो और सभी के लिए एमएसएमई मामलों के निपटान हेतु एक संदर्भ सामग्री हो.

यह एक औपचारिक नीति दस्तावेज है जिसमें एमएसएमई ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बैंक की भूमिका और दृष्टिकोण का उल्लेख है. एमएसएमई को ऋण देना एमएसएमईडी अधिनियम का एक अभिन्न अंग है और आरबीआई के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण दिशानिर्देशों पर भी नीति में चर्चा की गई है, जहां भी लागू हो.

बैंक ने नीति दिशानिर्देशों के अनुरूप एमएसएमई को ऋण देने पर परिचालन दिशानिर्देश भी जारी किए हैं.

2.2 विस्तार

2.2.1 दिशानिर्देश, एमएसएमई ऋण से संबंधित सभी मामलों जैसे कि निधि आधारित, गैर-निधि आधारित और एमएसएमई ऋण के अन्य प्रकार के ऋण वितरण का निपटान करेगे.

2.2.2 चूंकि ऋण नीति में अन्य ऋण संबंधी क्षेत्रों के बारे में विस्तार से बताया गया है, इसलिए दोहराव से बचने के लिए इन पहलुओं को इस खंड में शामिल नहीं किया गया है. अत: एमएसएमई पर दिशानिर्देशों को ऋण नीति के साथ पढ़ा जाना चाहिए.

2.2.3 दिशानिर्देश में सभी प्रकार के एमएसएमई ग्राहकों को कवर किया जाएगा जैसे कि वैयक्तिक, स्वामित्व, साझेदारी, सीमित देयता भागीदारी, व्यक्तियों का संघ, भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत कंपनियां, एसएचजी, जेएलजी, सहकारी समिति आदि.

2.2.4 यह नीति दिशानिर्देश अब तक जारी सभी आरबीआई और मौजूदा नियामक दिशानिर्देशों के अनुपालन में बनाए गए हैं.

2.2.5 नीति में उल्लिखित दिशानिर्देश सभी घरेलू शाखाओं के लिए लागू हैं.

2.3 स्वामित्व

एमएसएमई विभाग, सीआरएमसी/ निदेशक मंडल के अनुमोदन से, बैंक में एमएसएमई ऋण के लिए विशिष्ट सभी उत्पादों/ प्रक्रियाओं को तैयार करेगा, डिजाइन करेगा/ समीक्षा करेगा/ ठीक करेगा/ संशोधित करेगा.

3. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम (भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों और उसके आंतरिक दिशानिर्देशों के साथ)

3.1 भारत सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 अधिनियमित किया है जिसे 16 जून, 2006 को अधिसूचित किया गया था. एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अधिनियमन के साथ, मध्यम उद्यमों तक दायरा बढ़ाने के अलावा सेवा क्षेत्र को एमएसएमई की परिभाषा में शामिल किया गया है. एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 ने विनिर्माण या उत्पादन और सेवाएं प्रदान करने में लगे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की परिभाषा को संशोधित किया है. भारतीय रिज़र्व बैंक ने उपरोक्त परिवर्तनों को अधिसूचित किया है, जिसे अधिनियम के अनुसार एमएसएमई की परिभाषा के साथ बैंक द्वारा ऋण के उद्देश्य से अपनाया गया है.

3.1.1 निम्नलिखित महत्वपूर्ण परिवर्तन एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के माध्यम से पेश किए गए हैं.

i. "उद्योग" शब्द का स्थान "उद्यम" ने ले लिया है.

ii. "अत्यंत लघु क्षेत्र" शब्द को "सूक्ष्म" से बदल दिया गया है.

iii. सेवा क्षेत्र को एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के दायरे में लाया गया है.

3.1.2 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की परिभाषा

संवर्ग	वर्गीकरण के आधार पर
सूक्ष्म उद्यम	जहां प्लांट और मशीनरी या उपकरण में निवेश एक करोड़ रुपये से अधिक नहीं है और कुल कारोबार (टर्नओवर) **5** करोड़ रुपये से अधिक नहीं है.
लघु उद्यम	जहां प्लांट और मशीनरी या उपकरण में निवेश **10** करोड़ रुपये से अधिक नहीं है और कुल कारोबार (टर्नओवर) **50** करोड़ रुपये से अधिक नहीं है.
मध्यम उद्यम	जहां प्लांट और मशीनरी या उपकरण में निवेश **50** करोड़ रुपये से अधिक नहीं है और कुल कारोबार (टर्नओवर) **250** करोड़ रुपये से अधिक नहीं है.

- उपरोक्त सभी उद्यमों को उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करना और 'उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र' प्राप्त करना आवश्यक है. पीएसएल उद्देश्यों के लिए बैंक को 'उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र' में दर्ज वर्गीकरण द्वारा निर्देशित किया जाएगा.

- अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई) को उद्यम सहायता पोर्टल (यूएपी) पर जारी प्रमाणपत्र को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र के बराबर माना जाएगा. उद्यम सहायता प्रमाणपत्र वाले आईएमई को पीएसएल वर्गीकरण के प्रयोजन के लिए सूक्ष्म उद्यमों के रूप में माना जाएगा.

3.1.2.1 सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम बनना:

- कोई भी व्यक्ति जो सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम स्थापित करना चाहता है, वह स्व-घोषणा के आधार पर उद्यम पंजीकरण पोर्टल में उद्यम पंजीकरण ऑनलाइन दर्ज कर सकता है, जिसमें दस्तावेज़, कागजात, प्रमाण पत्र या प्रमाण अपलोड करने की कोई आवश्यकता नहीं है.

- पंजीकरण पर, एक उद्यम (उद्यम पंजीकरण पोर्टल में उद्यम के रूप में संदर्भित) को एक स्थायी पहचान संख्या सौंपी जाएगी, जिसे उद्यम पंजीकरण संख्या के रूप में जाना जाएगा.

- पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने पर एक ई-प्रमाणपत्र, अर्थात् उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा.

3.1.2.2 सरकार द्वारा दिनांक 26.06.2020 की राजपत्र अधिसूचना में अधिसूचित मौजूदा उद्यमों, सूचना के अद्यतनीकरण और वर्गीकरण में संक्रमण अवधि आदि सहित पंजीकरण प्रक्रिया का विवरण अनुबंध I में प्रदान किया गया है. दिनांक 18.10.2022 की अधिसूचना भी अनुबंध I में प्रदान की गई है.

(प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण पर आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, खाद्य और कृषि प्रसंस्करण इकाइयों के लिए बैंकिंग प्रणाली से प्रति उधारकर्ता 100.00 करोड़ रुपये की कुल स्वीकृत सीमा तक का ऋण कृषि का भाग होगा).

3.1.2.3 पंजीकरण पोर्टल में एमएसएमई द्वारा पंजीकरण के दौरान, निवेश और कुल कारोबार (टर्नओवर) के आंकड़े या तो आयकर विभाग और जीएसटीएन (उन उद्यमों के लिए जिन्होंने आईटी और जीएसटी रिटर्न

दाखिल किया है) से स्वत: भरा / ले जाया जाता है या स्व-घोषणा पत्र के आधार पर दाखिल किया जाता है. (उन उद्यमों द्वारा जिन्होंने अभी तक आईटी और जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं किया है). जो आंकड़े आईटी विभाग और जीएसटीएन से स्वतः भर जाता है/प्राप्त हो जाता है, वह वह आंकड़ा होता है जिसे संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए, जहां भी आवश्यक हो, सुधार के बाद उपरोक्त संबंधित विभागों द्वारा अंतिम रूप दिया गया था.

इस संबंध में, एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार (रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा और रिटर्न को आगे संसाधित करने के लिए आवश्यक समय पर विचार करते हुए) ने स्पष्ट किया है कि आंकड़ों (स्वतः भरे/प्राप्त) के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई गई है. उद्यम पंजीकरण पोर्टल **01.07.2020** से प्रभावी है:

उद्यम पोर्टल में पंजीकरण का वित्तीय वर्ष एवं एमएसएमई के रूप में वर्गीकरण	संबंधित वित्तीय वर्ष से आईटी विभाग और जीएसटीएन से लिए गए या लिए जाने वाले आंकड़े **(** निवेश, कुल कारोबार **(**टर्नओवर**)**, निर्यात**)**
2020-21	2018-19
2021-22	2019-20
2022-23	2020-21

3.1.2.4 एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने कार्यालय ज्ञापन 5/2(2)/2021-ई/पीएंडजी/पॉलिसी (ई-19025) दिनांक 02.07.2021 के माध्यम से एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के तहत खुदरा और थोक कारोबार गतिविधि (एनआईसी कोड) को जोड़ने की अधिसूचना जारी की है. और ऐसे उद्यमों को उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकरण करने की अनुमति दी. *[*परिपत्र संख्या *2672-2021* दिनांक *06.07.2021]*

4. एमएसएमई**-** प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण देना **(**भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश और उसके आंतरिक दिशानिर्देश**)**

4.1 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण देना, बैंक का चुनिंदा क्षेत्र बना रहेगा. बैंक समायोजित नेट बैंक ऋण (एएनबीसी) के 40% या ऑफ-बैलेंस शीट एक्सपोजर की क्रेडिट समतुल्य राशि, जो भी पिछले वर्ष के अंत में अधिक हो, की कुल हिस्सेदारी को पार करने का प्रयास करेगा. इसके अलावा, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के तहत सूक्ष्म उद्यमों के लिए उप-लक्ष्य एएनबीसी का 7.5% या ऑफ-बैलेंस शीट एक्सपोजर की ऋण समतुल्य राशि है, जो भी पिछले वर्ष के अंत में अधिक है.

4.2 विनिर्माण और सेवा दोनों क्षेत्रों के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए बैंक ऋण निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के तहत वर्गीकृत किए जाने के पात्र हैं:

4.2.1 विनिर्माण उद्यम**:**

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट और समय-समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित किसी भी उद्योग के लिए माल के निर्माण या उत्पादन में लगे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम उद्योग. विनिर्माण उद्यमों को प्लांट और मशीनरी तथा कुल कारोबार (टर्नओवर) में

निवेश के संदर्भ में परिभाषित किया गया है. (यह स्पष्ट किया जाता है कि ऋण एक्सपोजर के आकार की परवाह किए बिना एमएसएमई के तहत सभी पात्र विनिर्माण उद्यमों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के तहत वर्गीकृत किया जाएगा.)

4.2.2 सेवा उद्यम:
एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के तहत उपकरण और कुल कारोबार (टर्नओवर) में निवेश के संदर्भ में परिभाषित सेवाएं प्रदान करने या प्रदान करने में लगे एमएसएमई के लिए सभी बैंक ऋण, बिना किसी क्रेडिट सीमा के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के तहत योग्य होंगे.

विनिर्माण या सेवा के रूप में एमएसएमई उद्यम का वर्गीकरण मौजूदा नियामक और वैधानिक दिशानिर्देशों के अनुसार होगा.

4.2.3 खादी एवं ग्रामोद्योग क्षेत्र **(**केवीआई**):**

खादी एवं ग्रामोद्योग क्षेत्र (केवीआई क्षेत्र) की इकाइयों को दिए गए सभी ऋण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के तहत सूक्ष्म उद्यमों के लिए निर्धारित 7.5 प्रतिशत के उप-लक्ष्य के तहत वर्गीकरण के लिए पात्र होंगे.

4.2.4 एमएसएमई हेतु अन्य वित्त:

4.2.4.1 कारीगरों, ग्रामीण और कुटीर उद्योगों के आउटपुट के विपणन और इनपुट की आपूर्ति में विकेन्द्रीकृत क्षेत्र की सहायता में शामिल संस्थाओं को ऋण.

4.2.4.2 विकेंद्रीकृत क्षेत्र में उत्पादकों की सहकारी समितियों के लिए ऋण अर्थात कारीगर, ग्रामीण और कुटीर उद्योग.

4.2.4.3 आरबीआई द्वारा निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार एमएसएमई क्षेत्र को आगे ऋण देने के लिए एमएफआई को स्वीकृत किए गए ऋण.

4.2.4.4 सामान्य क्रेडिट कार्ड के तहत बकाया ऋण (जिसमें कारीगर क्रेडिट कार्ड, स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड और बुनकर कार्ड आदि शामिल हैं जो अस्तित्व में और व्यक्तियों की गैर-कृषि उद्यमशीलता ऋण आवश्यकताओं को पूरा करते हैं)

4.2.4.5 प्रधान प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के तहत 10,000/- रुपये तक ओवरड्राफ्ट बढ़ाए गए खाते सूक्ष्म उद्यमों को ऋण देने के लक्ष्य की उपलब्धि के रूप में पात्र होंगे.

4.2.4.6 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की कमी के कारण सिडबी और मुद्रा लिमिटेड के पास बकाया जमा.

4.3 एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के रूप में औद्योगिक उपक्रमों के वर्गीकरण के उद्देश्य से एक ही व्यक्ति/कंपनी द्वारा स्थापित विभिन्न उद्यमों के निवेश को संयुक्त करने का प्रावधान नहीं करता है.

4.4 प्रतिभूतिकृत परिसंपत्तियों में निवेश, सीधे असाइनमेंट के माध्यम से ऋण परिसंपत्तियों के पूल का स्थानांतरण, जोखिम साझाकरण के आधार पर अंतर बैंक भागीदारी प्रमाणपत्र (आईबीपीसी) में निवेश और निवेश प्राथमिकता क्षेत्र की संबंधित श्रेणियों के तहत वर्गीकरण के लिए पात्र होंगे, बशर्ते अंतर्निहित

परिसंपत्तियां इसके लिए पात्र हों. आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की संबंधित श्रेणियों के तहत वर्गीकृत किया गया है.

4.5 बैंक द्वारा लिए गए बकाया प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण प्रमाणपत्र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की संबंधित श्रेणियों के तहत वर्गीकरण के लिए पात्र होंगे, बशर्ते कि संपत्ति बैंकों द्वारा उत्पन्न की गई हो और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों के रूप में वर्गीकृत होने के लिए पात्र हों और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण प्रमाणपत्र पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों को पूरा करते हों..

4.6 एमएसएमई क्षेत्र के लिए तरलता समर्थन बढ़ाने के लिए, TReDS (ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम) के माध्यम से होने वाले फैक्टरिंग लेनदेन प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के तहत वर्गीकरण के लिए पात्र होंगे.

4.7 एक रजिस्टर/इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए सभी स्तरों पर एक प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए, जिसमें प्राप्ति की तारीख, मंजूरी/अस्वीकृति/वितरण की तारीख और उसके कारण आदि दर्ज किए जाने चाहिए. सभी निरीक्षण एजेंसियों को रजिस्टर/ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड उपलब्ध कराया जाना चाहिए.

4.8 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र एमएसएमई ऋण के तहत प्राप्त ऋण आवेदनों के लिए एक पावती प्रदान की जानी चाहिए और निर्णय को निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदकों को लिखित रूप में सूचित किया जाना चाहिए.

4.9 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को ऋण देने के लक्ष्य/ उप-लक्ष्य

4.9.1 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को अग्रिम को बिंदु संख्या 4.1 के अनुसार समग्र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र लक्ष्य के तहत उपलब्धि की गणना के लिए गिना जाता है.

4.9.2 सूक्ष्म उद्यमों को ऋण देने के लिए बैंक को एएनबीसी का 7.5 प्रतिशत या ऑफ-बैलेंस शीट एक्सपोजर की क्रेडिट समतुल्य राशि, जो भी अधिक हो, का उप-लक्ष्य प्राप्त करना आवश्यक है.

4.9.3 एमएसएमई पर प्रधानमंत्री की टास्क फोर्स की सिफारिशों के संदर्भ में, बैंक निम्नलिखित को प्राप्त करेगा:

i. सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को ऋण में वर्ष-दर-वर्ष 20 प्रतिशत की वृद्धि,

ii. सूक्ष्म उद्यम खातों की संख्या में 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि

iii. पिछले वर्ष की तदनुरूपी तिमाही में एमएसई क्षेत्र को दिए गए कुल ऋण का 60 प्रतिशत सूक्ष्म उद्यमों को देना.

अत:, निर्देशों का अनुपालन करने के सभी प्रयास अक्षरश: किए जाने चाहिए.

5. एमएसएमई क्षेत्र को ऋण देने के लिए सामान्य दिशानिर्देश/ निर्देश (भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश और उसके आंतरिक दिशानिर्देश)

एमएसएमई उधारकर्ताओं को ऋण आवेदनों की पावती जारी करने से संबंधित सामान्य दिशानिर्देश; ऋण गारंटी योजनाएँ; समग्र ऋण; विशिष्ट एमएसएमई शाखाएं; विलम्बित भुगतान; एमएसएमई के पुनरुद्धार और पुनर्वास के लिए रूपरेखा; सामान्य क्रेडिट कार्ड (जीसीसी) योजना; राज्य स्तरीय अंतर संस्थागत समिति (एसएलआईआईसी); एमएसएमई पर अधिकार प्राप्त समिति; क्लस्टर दृष्टिकोण आदि एमएसएमई नीति के पहले भाग को एमएसएमई पर परिचालन दिशानिर्देशों में शामिल किया गया है.

6. एमएसएमई ऋण बढ़ाने के लिए बैंक की पहल:

बैंक ने एमएसएमई को ऋण की वृद्धि के लिए विभिन्न पहल की हैं जो इस प्रकार हैं:

i. केंद्रीय कार्यालय में अलग संगठनात्मक व्यवस्था

ii. बिजनेस बैंकिंग शाखाएं और एमएसएमई केंद्रित शाखाएं

iii. केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र - एमएलपी की स्थापना

iv. क्रेडिट अधिकारी संवर्ग का विकास करना

v. क्लस्टर

vi. एमएसएमई देखभाल केंद्र

vii. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई)

viii. स्टेंड़ अप इंडिया

ix. स्टार्ट-अप इंडिया

x. एमएसएमई आदि के लिए सरलीकृत सामान्य ऋण आवेदन पत्र

विभिन्न पहलों पर विस्तृत दिशानिर्देश एमएसएमई के परिचालन दिशानिर्देशों में दिए गए हैं.

7. एमएसई के लिए भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई).

7.1 भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) ने सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए बैंक की प्रतिबद्धता का एक कोड (एमएसई कोड) तैयार किया है. यह संहिता बैंकों के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसईएस) के साथ कार्य करते समय पालन करने हेतु बैंकिंग प्रथाओं के न्यूनतम मानक निर्धारित करती है. यह एमएसई को सुरक्षा प्रदान करता है और बताता है कि बैंकों से अपने दैनिक कार्यों और वित्तीय कठिनाई के समय में एमएसई से कैसे निपटने की अपेक्षा की जाती है.

7.2 इस संहिता को बैंक द्वारा 30 अगस्त 2008 की अपनी बोर्ड बैठक में अपनाया गया है और समय-समय पर अद्यतन किया जाता है. ग्राहकों और कर्मचारियों की जानकारी के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यमों के प्रति बैंक के प्रतिबद्धता संहिता को बैंक की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है. बैंक ने एमएसई संहिता के अनुपालन हेतु क्षेत्रीय पदाधिकारियों के लिए परिचालन दिशानिर्देश जारी किए हैं. सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों और संबंधितों को इसे अक्षरशः लागू करना/ पालन करना आवश्यक है.

7.3 हालाँकि, यह संहिता भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी विनियामक या पर्यवेक्षी निर्देशों को प्रतिस्थापित या अधिक्रमण नहीं करती है और बैंक समय-समय पर आरबीआई द्वारा जारी ऐसे अनुदेश/निर्देशों का पालन करेगा. इसी प्रकार, यह संहिता समय-समय पर बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों को प्रतिस्थापित या अधिक्रमण नहीं करती है. जब तक इसमें अन्यथा न कहा जाए, संहिता के सभी भाग उन सभी उत्पादों और सेवाओं पर लागू होते हैं, जो शाखाओं द्वारा काउंटर पर, फोन पर, डाक द्वारा, इंटरैक्टिव इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से, इंटरनेट पर या किसी अन्य माध्यम से प्रदान किए जाते हैं.

7.4 जब भी बीसीएसबीआई द्वारा संहिता में कोई संशोधन किया जाता है, तो उसे प्रबंध निदेशक एवं सीईओ की अनुमति से बैंक द्वारा अपनाया जा सकता है, जब तक कि अन्यथा यह किसी निर्दिष्ट समिति के प्रतिनिधिमंडल के साथ न हो.

7.5 बीसीएसबीआई संहिता के उद्देश्य: संहिता को निम्न के लिए विकसित किया गया है:

i. कुशल बैंकिंग सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करके एमएसई क्षेत्र पर सकारात्मक जोर दें.
ii. व्यवहार में न्यूनतम मानक निर्धारित करके उत्कृष्ट और निष्पक्ष बैंकिंग प्रथाओं को बढ़ावा देना
iii. पारदर्शिता बढ़ाएँ ताकि सेवाओं से उचित रूप से क्या अपेक्षा की जा सकती है, इसकी बेहतर समझ हो सके.
iv. प्रभावी संचार के माध्यम से व्यवसाय की समझ में सुधार करें.
v. उच्च परिचालन मानकों को प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा के माध्यम से बाजार शक्तियों को प्रोत्साहित करना.
vi. एमएसई और बैंकों के बीच निष्पक्ष और सौहार्दपूर्ण संबंध को बढ़ावा देना और बैंकिंग जरूरतों के लिए समय पर और त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना.
vii. बैंकिंग प्रणाली में विश्वास बढ़ाना.

7.6 बीसीएसबीआई संहिता के अनुरूप, एमएसई ग्राहकों को पावती दी जाएगी.

7.7 एमएसई ग्राहकों को निःशुल्क वितरण के लिए एमएसई संहिता प्रतियां सभी शाखाओं में वितरित की जानी चाहिए.

7.8 संहिता की संपूर्ण पाठ-सामग्री बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है. (http://www.unionbankofindia.co.in/code_bank_msme.aspx)

अनुबंध - I

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

राजपत्र अधिसूचना एस.ओ. **2119** (ई) दिनांक **26** जून **2020**

1. सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम बनना -

i. कोई भी व्यक्ति जो सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम स्थापित करना चाहता है, वह दस्तावेज़, कागजात, प्रमाण पत्र या प्रमाण अपलोड करने की आवश्यकता के बिना स्व-घोषणा के आधार पर उद्यम पंजीकरण पोर्टल में उद्यम पंजीकरण ऑनलाइन दाखिल कर सकता है.

ii. पंजीकरण पर, एक उद्यम (उद्यम पंजीकरण पोर्टल में 'उद्यम' के रूप में संदर्भित) को एक स्थायी पहचान संख्या प्रदान की जाएगी जिसे "उद्यम पंजीकरण संख्या" के रूप में जाना जाएगा.

iii. पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने पर एक ई-प्रमाणपत्र, अर्थात् "उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र" जारी किया जाएगा.

2. पंजीकरण प्रक्रिया -

i. पंजीकरण के लिए फॉर्म, उद्यम पंजीकरण पोर्टल में दिए गए फॉर्म के अनुसार होगा.

ii. उद्यम पंजीकरण दाखिल करने के लिए कोई शुल्क नहीं होगा.

iii. उद्यम पंजीकरण के लिए आधार नंबर आवश्यक होगा.

iv. स्वामित्व फर्म के मामले में मालिक का, साझेदारी फर्म के मामले में प्रबंध भागीदार का और हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) के मामले में कर्ता का आधार नंबर जरूरी होगा.

v. किसी कंपनी या सीमित देयता भागीदारी या सहकारी समिति या सोसायटी या ट्रस्ट के मामले में, संगठन या उसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता को अपने आधार नंबर के साथ अपना जीएसटीआईएन और पैन प्रदान करना होगा.

vi. यदि किसी उद्यम को पैन के साथ उद्यम के रूप में विधिवत पंजीकृत किया गया है, तो पिछले वर्षों की जानकारी की कोई भी कमी, जब उसके पास पैन नहीं था, स्व-घोषणा के आधार पर भरा जाएगा.

vii. कोई भी उद्यम एक से अधिक उद्यम पंजीकरण दाखिल नहीं करेगा:

बशर्ते कि विनिर्माण या सेवा या दोनों सहित किसी भी संख्या में गतिविधियों को एक उद्यम पंजीकरण में निर्दिष्ट या जोड़ा जा सके.

viii. जो कोई जानबूझकर उद्यम पंजीकरण या अद्यतन प्रक्रिया में दिखाई देने वाले स्व-घोषित तथ्यों और आंकड़ों को गलत तरीके से प्रस्तुत करता है या दबाने का प्रयास करता है, वह अधिनियम की धारा 27 के तहत निर्दिष्ट दंड के लिए उत्तरदायी होगा.

3. मौजूदा उद्यमों का पंजीकरण

i. ईएम-पार्ट- II या यूएएम के तहत पंजीकृत सभी मौजूदा उद्यम 1 जुलाई, 2020 को या उसके बाद उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर फिर से पंजीकरण करेंगे.

ii. 30 जून, 2020 तक पंजीकृत सभी उद्यमों को इस अधिसूचना के अनुसार पुनः वर्गीकृत किया जाएगा.

iii. 30 जून, 2020 तक की अवधि के लिए पहले पंजीकृत मौजूदा उद्यम केवल 31 मार्च, 2021 वैध बने रहेंगे.

iv. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत किसी अन्य संगठन के साथ पंजीकृत उद्यम, उद्यम पंजीकरण के तहत खुद को पंजीकृत करेगा.

4. <u>सूचना का अद्यतनीकरण एवं वर्गीकरण में संक्रमण काल -</u>

i. उद्यम पंजीकरण संख्या रखने वाला उद्यम, उद्यम पंजीकरण पोर्टल में अपनी जानकारी ऑनलाइन अपडेट करेगा, जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष के लिए आईटीआर और जीएसटी रिटर्न का विवरण और ऐसी अन्य अतिरिक्त जानकारी शामिल होगी, जो स्व-घोषणा के आधार पर आवश्यक हो सकती है.

ii. ऑनलाइन उद्यम पंजीकरण पोर्टल में निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रासंगिक जानकारी अपडेट करने में विफल रहने पर उद्यम अपनी स्थिति को निलंबित करने के लिए उत्तरदायी होगा.

iii. आईटीआर या जीएसटी रिटर्न सहित सरकार के स्रोतों से दी गई या एकत्र की गई जानकारी के आधार पर, उद्यम का वर्गीकरण अद्यतन किया जाएगा.

iv. किसी उद्यम के ग्रेजुएशन (निचली से उच्च श्रेणी में) या रिवर्स- ग्रेजुएशन (निचली श्रेणी में जाने) के मामले में, स्थिति में बदलाव के बारे में उद्यम को एक संप्रेषण भेजा जाएगा.

v. संयंत्र और मशीनरी या उपकरण या टर्नओवर या दोनों में निवेश के मामले में ऊर्ध्वगामी परिवर्तन और परिणाम पुन: वर्गीकरण के मामले में, एक उद्यम श्रेणी (सूक्ष्म या लघु या मध्यम) के सभी गैर-कर लाभों का लाभ उठाना जारी रखेगा. यह पुनर्वर्गीकरण से पहले था, इस तरह के ऊर्ध्वगामी परिवर्तन की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए पुनर्वर्गीकरण. (एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 18.10.2022 की राजपत्र अधिसूचना के अनुसार अद्यतन).

vi. किसी उद्यम के रिवर्स-ग्रेजुएशन (निचली श्रेणी में खिसकने) के मामले में, चाहे वह पुन: वर्गीकरण के परिणामस्वरूप हो या संयंत्र और मशीनरी या उपकरण या टर्नओवर या दोनों में निवेश में वास्तविक बदलाव के कारण हो, और क्या उद्यम पंजीकृत है अधिनियम हो या न हो, उद्यम वित्तीय वर्ष के समापन तक अपनी वर्तमान श्रेणी में जारी रहेगा और उसे बदली हुई स्थिति का लाभ केवल उस वर्ष के अगले वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल से दिया जाएगा जिसमें ऐसा परिवर्तन हुआ था.